आशौचनिर्णयः

नागोजीभट्ट द्वारा

पराशरः

आ चतुर्थाद्भवेत् स्रावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत ऊर्ध्वं प्रसूतिः स्यादिति ।। आषष्ठं तत्र स्रावे आद्यमासत्रये मातुस्त्रिरात्रमाशौचम्। उपरि माससमसंख्यादिनमाशौचम् ।। चतुर्थे चत्वारि । पञ्चमे पञ्च। षष्ठे षडित्यर्थः सपिण्डानां तु स्नानमात्रेण शुद्धिः ।

स्रावे पाते तु त्रिरात्रम् । सप्तमासप्रभृति तु स्वजात्युक्तं दशाहादि सपिण्डानां मातुश्च । चतुर्थ मास पर्यन्त गर्भ के विनष्ट होने पर उसे स्राव कहा जाता है पाँचवें तथा छठें माह में गर्भ के विनष्ट होने पर उसे पात कहा जाता है, इसके बाद के काल को प्रसूति कहा जाता है। इनमें प्रथम से तृतीय मास तक के काल में यदि गर्भस्राव होता है तो माता को तीन रात्रि तक आशौच लगता है। इसके बाद अर्थात् तीन मास के बाद यानि चतुर्थ मास से षड् मास

पर्यन्त मास की संख्या के बराबर दिनों का आशौच लगता है। चतुर्थ का अर्थ है चौथे मास में चार दिन अत: चौथे मास में गर्भ स्राव होने पर चार दिन का तथा पञ्चमे अर्थात् पाँचवें मास में पाँच दिन, छठें मास में छः दिनों का आशौच लगता है। एक ही पिण्ड के लोगों के आशौच की शुद्धि स्नान से ही हो जाती है। गर्भस्राव तथा गर्भपतन की स्थिति में तीन रात्रि तक का आशौच होता है। सातवें महीने तक के गर्भपात की स्थिति में अपनी जाति में कहे गए दस दिन का आशौच होता है, जो कि सपिण्ड तथा माता को लगता है।

माधवस्तु सूतिका व्यतिरिक्तानां सप्तमे सप्तरात्रम् । अष्टमेऽष्टरात्रम् । नवमप्रभृति तु दशरात्रमित्याह । जन्माशौचमध्ये शिशुमरणे मृताशौचं नास्त्येव, जनननिमित्तकमेवाशौचम्। निर्घाण निर्गमनेऽप्येवम् । नालच्छेदनात्पूर्वं शिशुमरणे सपिण्डानां दिनत्रयमेव सूतकम्। नालच्छेदनानन्तरं तु सम्पूर्ण दशाहाद्युपरि नामकरणत्पूर्वं शिशुमरणे निखननमेव नाग्न्युदकदानम् । ज्ञातीनां सचैलस्नानात् सद्यः शुद्धिः । नामकरणादनन्तरं दन्तजननात् प्राक्

मरणे तु दाहखननयोर्विकल्पः।

यहाँ माधवाचार्य का यह मानना है कि सातवें माह में गर्भपात होने पर सूतिका स्त्री के अलावा विद्यमान जन को सात रात्रि का, आठवें माह में आठ रात्रि का तथा नवें आदि की दशा में दशरात्रि का आशौच होता है। यदि जन्म से सम्बन्धित आशौच के मध्य में शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसमें उस मृत्यु से सम्बन्धित आशौच नहीं लगता है अपितु जन्म से सम्बन्धित आशौच का ही प्रभाव रहता है। निर्माण अर्थात् निर्गमन में भी यही जन्म से सम्बन्धित आशौच होता है। यदि बालक के नालछेदन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो सपिण्ड जन को तीन दिन का ही आशौच लगता है किन्तु यदि नालच्छेदन के पश्चात् यह स्थिति होती है तो पूर्णाशौच होता है। यदि दस दिन के बाद और नामकरण से पहले शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे जमीन खोदकर उसमें गाड़ना ही उचित है न कि उसे अग्निदाह अथवा जल में प्रवाहित करना। इस स्थिति में सगे-सम्बन्धियों की वस्त्रसहित स्नान करने से आशौच से सद्यः शुद्धि हो जाती है।

यदि नामकरण के बाद किन्तु दाँत निकलने से पहले बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसका अग्निदाह तथा जमीन में गाड़ देना ये दोनों ही विकल्प बताए गए हैं।

तत्र दहने ज्ञातीनां एकाहम् । अनुगमनं तत्कृताकृती । खननपक्षे तु सद्यः शुद्धिः । दंतजननादूर्ध्वमपि त्रिवर्षपर्यंतम कृतचूडस्य खननदहनयोर्विकल्प एव । खनने एकाहमाशौचं दहने त्रिरात्रं । व्रत ऊनाद्विवर्षात् तमनुगमनं कृताकृतं । यश्चानित्यं । कृतचूडस्य तु त्रिवर्षापूर्वमपि ऊह्यम् । दहनं तु उदकदानं त्रिरात्राशौचं च नियतमेव त्रिवर्षादूर्ध्वं तु यावदुयनयनं कृतचौलस्याकृतचौलस्य वा मरणेऽनुगमनं दहनं त्रिरात्राशौचं च नियतमेव। मातापित्रोस्तु अनुपनीतशिशुमरणे दहनखननयोरविशेषेण त्रिरात्रं । स्त्र्यपत्यमरणे तु विशेषः । त्रिपुरुषपर्यंतं ज्ञातीनामाचौलात् सद्यः शुद्धिः । तहो वाग्दानादर्वाक् एकाहमाशौचम् । ततो विव हादर्वाक् पतिपक्ष्ये च त्र्यहम्। पित्रोस्तु अजातदंतासु कन्यासु एकाहः। ततस्त्र्यहं। संस्कृतास्वपि पितृगेहे मृतासु पित्रोस्त्र्यहमिति माधवः ।

इनमें शिशु का अग्निदाह करने पर सगे-सम्बन्धी का तथा श्मशान भूमि तक जाने वाले दाह कर्म करने अथवा न करने वाले को एक दिन का आशौच होता है। किन्तु मृत शिशु को जमीन में गाड़ दिए जाने पर सद्यः शुद्धि हो जाती है। दाँत निकलने के बाद भी तीन वर्ष पर्यन्त चूड़ाकरण (मुण्डन) संस्कार न किए जाने तक शिशु की मृत्यु हो जाने पर जमीन में गाड़ना तथा अग्निदाह करना- ये दोनों विकल्प से बताए गए हैं। इनमें जमीन में गाड़ने की स्थिति में एक दिन का आशौच तथा अग्निदाह संस्कार की स्थिति में तीन रात्रि का आशौच लगता है। यज्ञोपवीत संस्कार से दो वर्ष पूर्व पहले बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसे कन्धा देना (साथ जाना) अथवा दाह, खनन में सम्मिलित होना ऐसा जो भी किया गया हो, चूड़ाकरण कर देने के उपरान्त भी तीन वर्ष से पहले भी शिशु मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार अथवा जल में प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें तीन रात्रि का आशौच होना तो निश्चित ही है। तीन वर्ष के बाद उपनयन संस्कार न होने की स्थिति में शिशु

की मृत्यु हो जाने पर गाड़ने अथवा दाह संस्कार करने पर सामान्यतः तीन रात्रि का आशौच निश्चित ही है अर्थात बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया हो तथा उसकी मृत्यु हो जाय तब चाहे दाह संस्कार किया गया हो अथवा जमीन में गाड़ा गया हो - इन दोनों में ही सामान्य रूप से माता-पिता को तीन रात्रि का आशौच होता है। हाँ यदि शिशु स्त्री जाति में है तो उसकी मृत्यु से सम्बन्धित विशेष कथन है। तीन पीढ़ी पर्यन्त अपने सगे-सम्बन्धी की चूड़ाकरण संस्कार पर्यन्त सद्यः शुद्धि होती है। वाग्दान (विवाह हेतु) से पूर्व मृत्यु होने पर एक दिन का आशौच होता है। उसके बाद विवाह से पूर्व प्रत्येक पक्ष वाले को तीन दिन का आशौच होता है। दाँत न निकले हुए कन्या की मृत्यु हो जाने पर माता-पिता को एक दिन का आशौच होता है। दाँत निकलने के बाद इस स्थिति में तीन दिन का आशौच होता है। विवाह संस्कार होने पर यदि पिता के घर में पुत्री की मृत्यु हो जाती है तो माता-पिता को तीन दिन का आशौच होता है- ऐसा माधवाचार्य का मत है।

अन्ये तु गृहांतरमरणेऽपि त्र्यहमाहुः । पितृव्यादीनां तु एकाहमेव। पितुर्गेहे कन्यायाः प्रसवे पित्रोरेकाहः । माधवस्तु पित्रोर्गेहे कन्यायाः प्रसवमरणयोः पित्रोस्त्रिरात्रमेव पितृव्यादीनां त्वेकरात्रमित्याह। सपिण्डजनने उपनीत सपिण्डमरणे च ब्राह्मणस्य दशाहं। क्षत्रियस्य द्वादश। वैश्यस्य पञ्चदश। शूद्रस्य मासम् सच्छूद्रस्य पक्षं। कूटस्थमारभ्य सप्तपुरुषाः सपिण्डाः । ततः सप्तसमानोदकाः। तदुत्तरं गोत्रजा एव । तत्र समानोदके उत्पन्ने मृते च त्रिरात्रं । गोत्रजे तु स्नानाच्छुद्धिः।

अन्य आचार्यों का यह मानना है कि यदि वह दूसरे घर (पतिगृह) में भी मृत्यु को प्राप्त होती है तो भी तीन दिन का आशौच होता है। किन्तु चाचा आदि को एक दिन का ही आशौच होता है। पिता के घर में कन्या का प्रसव होने पर माता-पिता को एक दिन का आशौच होता है। माधव के अनुसार घर में कन्या के प्रसव अथवा मृत्यु की स्थिति में माता-पिता को एक दिन का आशौच होता है अथवा मृत्यु हो जाने पर माता-पिता को तीन रात्रि का आशौच होता है, चाचा आदि को

एक रात्रि का आशौच होता है - यह कहा गया है। एक ही पिण्ड में जन्म होने पर तथा एक ही पिण्ड में उपनयन युक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होने पर ब्राह्मण को दस दिन का, क्षत्रिय को बारह दिन का, वैश्य को पन्द्रह दिन का और शूद्र को एक माह का आशौच होता है। विशेष– सद् शूद्र अर्थात् सदाचरणयुक्त शूद्र को पन्द्रह दिन (पक्ष) का आशौच होता है। '(**सद्शूद्र से तात्पर्य है, जो मदिरा मांस का सेवन न करते हुए ब्राह्मण की सेवा करते हुए उनसे सद्ग्रन्थों का श्रवण करता है।)** मूल पीढ़ी से लेकर सात पीढ़ी पर्यन्त सपिण्ड कहा जाता है। उसके बाद सात पीढ़ी तक को समानोदक वाला कहा जाता है। उसके बाद गोत्रज ही होता है। इनमें समानोदक में उत्पन्न अथवा मृत होने की स्थिति में तीन रात्रि का आशौच होता है। गोत्रज होने पर तो स्नान से ही शुद्धि हो जाती है।

तत्र सूत्याशौचं दशाहाद्युपरि जननज्ञाने नास्त्येव । तत्रापि पितुः स्नानमेव मृताशौचं तु दशाहोपरि मासत्रयात् पूर्वं मरणज्ञाने त्रिरात्रं । तत आषष्ठं पक्षिणी। तत आ नवममहः ततः

स्नानोदकदानाभ्यां शुद्धिः। आवर्षं वर्षादूर्ध्वं आप्लाभ्यां इदं च सर्वं विज्ञानेश्वराद्यनुसारेणोक्तं । माधवमते तु त्रिपक्षादर्वाक् त्र्यहं तत आषण्मासं पक्षिणी। तत आवर्षादहोरात्रं तदूर्ध्वं स्नानोदकदाने इति बोध्यं । एतच्च त्रिरात्रादिकं समानदेश एव । देशांतरे तु स्नानमेवेति विज्ञानेश्वरादयः ।

इनमें प्रसूति से सम्बन्धित आशौच दश दिन से आगे सन्तति के उत्पन्न होने की जानकारी मिलने पर आशौच नहीं होता है। उसमें भी पिता की स्नानमात्र से शुद्धि होती है। मृत्यु से सम्बन्धित आशौच तो दश दिन से आगे तीन माह के पूर्व तक मृत्यु की जानकारी मिलने पर तीन रात्रि का आशौच होता है। उसके आगे छः माह पर्यन्त दो दिन एक रात्रि का आशौच होता है। उसके बाद तो नौ माह तक की स्थिति में एक दिन का आशौच होता है। उसके बाद तो उदक स्नान और तर्पण मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। वर्ष पर्यन्त वर्ष के बाद शुद्धि हो जाती है। यह सब कुछ आचार्य विज्ञानेश्वर के मतानुसार कही गई है। आचार्य माधव के मत में तो तीन पक्ष से पहले तीन

दिन का आशौच होता है उसके बाद छः मास पर्यन्त श्रवण होने पर दो दिन एक रात्रि तक होता है। उसके बाद एक वर्ष पर्यन्त में अहोरात्र का आशौच होता है। उसके आगे स्नान और तर्पण से ही आशौच से निवृत्ति हो जाती है और यह तीन रात्रि आदि का आशौच सभी वर्गों में एक समान होता है। अन्य देश (क्षेत्र) में तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है ऐसा विज्ञानेश्वर आदि का मानना है।

माधवस्तु देशान्तरेऽपि सपिण्डमरणे त्र्यहं । सद्यः शौचं तु समानोदकमरणविषयमित्याह। दशाहाद्यवच्छिन्नो यस्त्वाशौचकालस्तन्मध्ये द्वितीयादौ दिवसे जननमरणयोः श्रवणे तु अवशिष्टैरेव दिवसैः शुद्धिः । प्रत्यहं योजनद्वयं गच्छन् पुरुषः यत्र मृतस्य वार्त्तामाशौचकालमध्ये प्रापयितुं न शक्नोति तद्देशांतरम्। तथा च विप्रस्य दशाहाशौचिनः विंशतियोजनैर्देशांतरम्। क्षत्रियस्य द्वादशाहाशौचिनः चतुर्विंशतियोजनैरित्यादि।

आचार्य माधव के अनुसार तो दूसरे देश में भी सपिण्ड व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर तीन दिन

का आशौच होता है। सद्यः शौच तो समानोदक की मृत्यु के विषय में माना गया है। दस दिन के अन्दर मृत्यु से सम्बन्धित आशौच के होने पर उसमें दूसरे या तीसरे आदि दिन से जन्म अथवा मृत्यु के सम्बन्ध में सुनाई पड़ने पर शेष ही दिनों से ही शुद्धि हो जाती है। प्रतिदिन दो योजन तक गमन करता हुआ व्यक्ति यदि किसी की मृत्यु से सम्बन्धित समाचार को आशौच के समय के अन्दर नहीं सुन पाता है तो उसे देशान्तर कहा जाता है। ब्राह्मण जो कि दश दिन के आशौच वाला है, उसके लिए बीस योजन को देशान्तर माना गया है। बारह दिन तक आशौच वाले क्षत्रिय के लिए चौबीस योजन पर्यन्त देशान्तर कहा गया है।

तथा एकाहपक्षिणी त्रिरात्राशौचेषु द्विः चतुः षड् योजनरूपदेशान्तराणि योज्यानि। मातापितृमरणे तु विशेषः । पितरौ चेन्मृते स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः। श्रुत्वातद्दिनमारभ्य दशाहं सूतको भवेत् ।। मातुः सपत्न्यां तु त्रिदिनम् । इदं च हीनवर्णायामित्याहुः। मातापितृमरणे दशाहमित्युपक्रम्य स्त्रीपुरुषयोः परस्परं चैवं

सवर्णोत्तम सपत्नीषु चेति स्मृत्यर्थसारोक्तेः इति सगोत्राशौच प्रकरणम् । पित्रोरुपरमे व्यूढकन्यायास्त्रिरात्रम्।

इसी प्रकार एकाह, पक्षिणी (दो दिन एक रात्रि) तीन रात्रि से सम्बन्धित आशौच में दो, चार एवं छः योजन को देशान्तर के रूप में जानना चाहिए। हाँ माता और पिता की मृत्यु हो जाने पर तो विशेष कथन किया गया है। पुत्र के दूर देश में रहने पर माता-पिता की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र जिस दिन से उनकी मृत्यु का समाचार सुनता है उसी दिन से दश दिवस पर्यन्त सूतक होता है। माता अथवा सपत्नी के इस दशा को प्राप्त होने पर तीन दिन का आशौच होता है। इसे हीन अर्थात् निम्न वर्ण वालों में समझना चाहिए, ऐसा कहा गया है। माता-पिता की मृत्यु हो जाने पर दश दिवस... यहाँ से प्रारम्भ करके स्त्री पुरुष के आपस में समान वर्ण उत्तम सपत्नी के होने पर ऐसा स्मृत्यर्थसार में कहा गया है। यह सगौत्र आशौच प्रकरण कहा जाता है। माता-पिता की मृत्यु हो जाने पर परिणीता कन्या को दिन रात्रि का आशौच होता है।

ऋत्विजि दौहित्रे। सहाध्यायिनि। बंधुत्रये शिष्ये श्वसुरश्वश्वां मित्रे। भगिन्यां। भागिनेये। मातामह्यां। पितृष्वसरिभातृष्वशरि। मातुते । मातुलान्यान्यां च पक्षिणी। बंधुत्रये तु आत्मपितृष्वसुः पुत्राः आत्ममातृष्वसुः सुताः।
आत्ममातुलपुत्राश्च विज्ञेयाआत्मबांधवाः ।
पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः सुताः।
पितुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेयाः पितृबांधवाः।।
मातुः पितृष्वसुः पुत्राः मातुर्मातुष्वसुः सुताः ।
मातुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवाः इति।

ऋत्विक्, भानजा, सहपाठी तीनों प्रकार के बन्धु, शिष्य, श्वसुर, श्वसू, मित्र, बहन, भागिनेय, नानी, बुआ, मौसी, मामा, मामी इत्यादि इन सब को पक्षिणी आशौच कहा है। अपनी बुआ के पुत्र, अपनी मौसी के पुत्र तथा अपने मामा के पुत्र को आत्म बन्धु कहा जाता है। अपने पितामह की बहिन (पिता की बुआ) के पुत्र, पिता की मातृष्वसा (पिता की मौसी) के पुत्र एवं पिता के मामा के पुत्र को पितृ बान्धव कहा जाता है। इसी प्रकार माता के पिता अर्थात् नाना की बहिन के पुत्र, नानी की

बहिन के पुत्र एवं माता के मामा के पुत्र के मातृ बान्धव कहा जाता है।

पक्षिणी शब्दार्थस्तु दिवामरणे तदहः अंतरा रात्रिः परेधुश्च । रात्रौ मरणे तु सा रात्रिः अपरेधुरहोरात्रश्चेति हरदत्तोक्तेः । आगामिवर्त्तमानाहर्युक्तायां निशिपक्षिणीत्यमरकोशव्याख्यायां क्षीरस्वामिनाप्युक्तम्। पक्षाविव पक्षौ पूर्वोत्तरदिवसौ तन्मध्यवर्त्तिनी रात्रिः पक्षिणी। निशाद्वयमध्यगोदिवसोऽप्येवमिति याज्ञवल्क्यस्तुगुर्वन्ते चास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेषु चेति । एकरात्रमाह। तथा असपिण्डस्यापि यद्गेहे मरणं तद्गेहस्वामिनस्त्रिरात्रमित्यंगिराः। एकरात्रमिति विष्णुः। तथा बृहस्पतिः-

पक्षिणी शब्द का अर्थ है– दिन में मृत्यु हो जाने पर वह दिन, उस दिन के मध्य की रात्रि तथा अगला दिन। इसी प्रकार रात्रि में मृत्यु हो जाने पर वह रात्रि तथा दूसरे दिन का अहोरात्र - यह हरदत्त का अभिमत है। जबकि जिस दिन मृत्यु हो वह तथा आगामी दिवस से युक्त रात्रि को पक्षिणी कहा जाता है, ऐसा

अमरकोश के व्याख्याकार क्षीरस्वामी ने भी कहा है। पक्ष की तरह पक्ष अर्थात् दो पचों की तरह अथवा एक माह के दो पक्षों (पन्द्रह+पन्द्रह दिवस) की तरह। इस प्रकार पहले एवं बाद के दिन तथा मध्य की रात्रि – यह पक्षिणी है। इसी प्रकार पूर्व रात्रि तत्पश्चात् का दिवस तथा तदन्तरवर्ति रात्रि इसे भी समझना चाहिए।

याज्ञवल्क्य के मतानुसार– **गुरु की मृत्यु हो जाने पर, विद्वान्, मातुल, श्रोत्रिय की मृत्यु हो जाने पर एक रात्रि का आशौच होता है। इसी प्रकार सपिण्ड के न होने पर जिस घर में मृत्यु हो जाती है उस घर के स्वामी को तीन रात्रि का आशौच होता है-ऐसा अङ्गिरा का वचन है जबकि विष्णु के मत से एक रात्रि का आशौच होता है। जैसा कि बृहस्पति ने भी कहा है–**

त्र्यहं मातामहाचार्य श्रोत्रियेष्वशुचिर्भवेत्। प्रचेतामातृष्वसामातुलयोः श्वश्रूः श्वशुरयोर्गुरौ। मृते चर्त्विजि याज्ये च त्रिरात्रेण विशुध्यतीति। वसिष्ठसंस्थिते पक्षिणी रात्रिर्दौहित्रे भगिनीसुते।

संस्कृते तु त्रिरात्रं स्यादिति विष्णुः । आचार्यतत्पत्नी तत्पुत्रोपाध्यायमातुलश्वसुरश्वशुर्य सहाध्यायिनि शिष्येष्वतीतेष्वेकरात्रेणेत्यादि । एतेषां च गुरुलघुकल्पनासंन्निध्य संनिधिगुणउपकर्त्रनुपकर्त्तृभेदेन व्यवस्थेत्याहुः। एतच्चाचार्यादिमरणे त्रिरात्रादिकमन्यस्मिंदाहकर्त्तरि । दाहकर्त्तुस्तु दशाहमेव।

नानी, आचार्य, श्रोत्रिय की मृत्यु पर तीन दिन का आशौच होता है। प्रचेता के मत में मौसी, मामा-मामी, सास - श्वसुर एवं गुरु की मृत्यु हो जाने पर तथा ऋत्विक् और यज्ञकर्ता यजमान की मृत्यु हो जाने पर तीन रात्रि के बाद शुद्धि होती है ऐसा वसिष्ठ काअभिमत है। इनके समीप में रहते मृत्यु होने पर पक्षिणी भर का आशौच होता है। दौहित्र की मृत्यु पर रात्रि भर का आशौच होता है। यज्ञोपवीती की दशा में मृत्यु होने पर तीन रात्रि का आशौच होता है-ऐसा विष्णु का मत है। आचार्य एवं उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उपाध्याय, मामा, श्वसुर, श्वश्रु (सास), सहपाठी, अन्तेवासी आदि के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर एक रात्रि का आशौच होता है। इन सबसे सम्बन्धित गुरु लघुकल्पना विचार

सामीप्य एवं असामीप्य एवं सामान्य विशेष को ध्यान में रखकर लेनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। यह व्यवस्था आचार्य आदि की मृत्यु हो जाने पर दाहकर्ता से अन्य के दाहकर्म करने पर उसे तीन रात्रि का आशौच होता है। उनसे सम्बन्धित दाहकर्ता के होने पर उसे दश दिन का आशौच होता है।

देशाधिपतौ तु दिनमृते दिनं रात्रिमृते तु रात्रिः । मानुषास्थिसरसे बुद्धिपूर्वं स्पृष्टे त्रिदिनं निरसे तु दिनम् । अबुध्यनुसरसे स्पृष्टे स्नानं । विरसे त्वाचमनम् । अमानुषास्थिस्पर्शे तु सस्नेहे स्नानम्। आशौचिनोऽन्तेनापदि बुद्धिपूर्वं सकृद् भुंक्ते। यस्मिदिने भुक्तं ततः शिष्टाहान्याशौचम्। असकृद्बुद्धिपूर्वं भुक्तेऽपि एतदेवाशौचम्। प्रायश्चित्ते परे विशेषः। आपदि तु बुद्धिपूर्वं भोजनेऽपि दिनमाशौचं सजातीयस्य उत्कृष्टजातीयस्य वानुगमने सचैलस्नानं घृतप्राशनं च।

देश के स्वामी के दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर दिनभर का तथा रात्रि में मृत्यु हो जाने पर रात्रिभर का आशौच होता है। मनुष्य

(मृत) की अस्थि का जानबूझ कर स्पर्श करने पर दिनभर का आशौच होता है (कई दिन मृत्यु के पश्चात् अर्थात्) अस्थि सञ्चयन की स्थिति तो एक दिन का आशौच होता है। बिना जाने शवस्पर्श की दशा में स्नानमात्र से आशौच से निवृत्ति हो जाती है। केवल अस्थि के स्पर्श में आचमन मात्र से शुद्धि हो जाती है। मनुष्य से भिन्न की अस्थि का स्पर्श करने पर तो सस्नेह (तेल - घृत लेप के साथ) स्नान करने पर शुद्धि होती है। आशौच यक्ति के घर में आपत्ति की स्थिति में जानबूझकर (प्राणरक्षण हेतु) एक बार भोजन ग्रहण कर लेने पर जिस दिन भोजन ग्रहण किया गया है, उससे शेष दिनों तक का आशौच होता है। जानबूझकर बार-बार भोजन कर लेने पर भी इतने दिन का ही आशौच होता है। हाँ प्रायश्चित करने में इससे कुछ अलग स्थिति होती है। आपत्तिकाल में तो जानबूझकर भोजन की स्थिति में उस दिन भी आशौच होता है। अपनो ही जाति गात्र से सम्बन्धित व्यक्ति का अथवा अपन से उत्तम जाति वाले व्यक्ति का शवानुगमन करने पर वस्त्रयुक्त स्नान तथा घृतप्राशन बताया गया है।

ब्राह्मणस्य क्षत्रियानुगमने त्वहोरात्रे। क्षत्रियस्य वैश्यानुगमनेऽप्येवं शूद्रानुगमने पक्षिणी । ब्राह्मणस्य शूद्रानुगमने तु त्रिरात्रम्। पराशरः -
प्रेतीभूतं तु यः शूद्रं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः ।
अनुगच्छेत्रीयमानं स त्रिरात्रेण शुध्यति।।
त्रिरात्रे तु ततश्चीर्णे नदीं नदीं गत्वासमुद्रगाम्।
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यतीति।।
धर्मार्थमनाथब्राह्मणनिर्हरणे तु पदे पदेऽश्वमेधं फलम्।।
अवगाहनात्सद्यः शौचं च। स्नेहादिना तु शवं निर्हत्य त दीयमन्त्रमश्नतस्तद्गृह एव वसतो दशाहेन शुद्ध्यति तद्गृह वासमात्रे त्रिरात्रम् ।

यदि ब्राह्मण व्यक्ति द्वारा क्षत्रिय शव का अनुगमन किया जाता है तो अहारोत्र का आशौच होता है। क्षत्रिय के द्वारा वैश्य शव का अनुगमन करने पर भी इसी प्रकार का आशौच होता है। शूद्र शव का अनुगमन करने पर दो दिन एक रात्रि का आशौच होता है। ब्राह्मण के द्वारा शूद्र मृतक का अनुगमन करने पर तो तीन रात्रि का आशौच होता है। पराशर ऋषि का अभिमत है। प्रेत होने की स्थिति जो

धर्मशास्त्र के ज्ञान से रहित ब्राह्मण शूद्र का अनुगमन करता है वह तीन रात्रि के अनन्तर शुद्धि को प्राप्त होता है। तीन रात्रि के पश्चात् निर्मल जलयुक्त समुद्र को प्राप्त होने वाली अर्थात् बड़ी नदी में स्नान करके, सौ बार प्राणायाम तदनन्तर घृतप्राशन करके शुद्धि को प्राप्त होता है।

धर्म की दृष्टि से अनाथ ब्राह्मण का दाहादि संस्कार करने पर तो एक-एक पद (कदम) पर अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है तथा स्नान करने से शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। प्रेमभाव के कारण उसके शव का संस्कार करने वाला यदि उसी के घर भोजन करता है तथा निवास करता है तो दश दिवस के अनन्तर उसकी शुद्धि होती है। उस मृतक व्यक्ति के घर में निवास करने मात्र की स्थिति में तीन रात्रि के अनन्तर शुद्धि हो जाती है।

यस्तु तदीयमन्नमश्नाति नचतद्गृहे वसति तस्यैकाहम् । ब्रह्मचारिणस्तु मातापितृव्यतिरिक्तशवनिर्हरणे व्रतलोपः । मातापितृनिर्हरणेऽपिआशौचिनामन्नं ब्रह्मचारी

नाश्नीयात् तैः सह न संविशेच्च । सूतके वर्त्तमाने तु द्वितीयं सूतकं यदि । पूर्वेणैव तु शुद्ध्येत् जाते जातं मृते मृतम् । मृतजातकयोगे तु या शुद्धिः सा निगद्यते मृतेन शुध्यते जातं न मृतं जातकेन तु । अन्यत्रापिशावेन शुद्ध्यते सूतिर्नसूतिः शावशोधिनी । यदा तु पूर्वाशौचापेक्षयाधिककालव्यापि द्वितीयमापतति यथा त्रिरात्रे प्रक्रान्ते दशाहं तत्र पूर्वशेषेण शुद्धिर्नास्ति ।

जो उस मृतक व्यक्ति के अन्न का भक्षण तो करता है किन्तु उसके घर निवास नहीं करता है उसे एक दिन का आशौच होता है। ब्रह्मचारी के द्वारा माता-पिता के अतिरिक्त अन्य के शव का संस्कार किए जाने की स्थिति में उसके ब्रह्मचर्य व्रत का लोप हो जाता व्यक्ति के अन्न को है। माता-पिता का दाह संस्कार करने पर भी आशौच से युक्त ब्रह्मचारी न ग्रहण करे और न उसके साथ उपवेशन करे।

सूतक के होने पर यदि अन्य सूतक लगता है

तो पूर्व सूतक से ही उसकी शुद्धि हो जाती है। यही व्यवस्था एक मृत्यु के पश्चात् अन्य मृत्यु के होने पर भी लागू होती है। यदि मृत्यु के पश्चात् सूतक की स्थिति होती है तो उसके बारे में इस प्रकार की व्यवस्था दी जाती है कि मृत्यु से सम्बन्धित आशौच से ही सूतक से सम्बन्धित आशौच की शुद्धि हो जाती है न कि जातक के आशौच से मृत्यु से सम्बन्धित आशौच की शुद्धि होती है।

जैसा कि अन्यत्र भी कहा गया है– शवाशौच से जातकाशौच की शुद्धि हो जाती है किन्तु सूतकाशौच के द्वारा शावाशौच की शुद्धि नहीं होती है। यदि पूर्व शौच की अपेक्षा अधिक समय पर्यन्त होने वाला दूसरा आशौच आ जाता है जैसा कि तीन रात्रि के बीत जाने पर दश दिन वाला आशौच आ जाता है तो उस स्थिति में पूर्व आशौच के बचे हुए दिनों में शुद्धि नहीं होती है।

यदि तु पूर्वप्रवृत्तमाशौचमुत्तराशौचकालादधिक कालं स्यात्तदा पूर्वेणैवोत्तरशुद्धिः । यथा गर्भपातनिमित्तषडहाशौचमध्ये यदि

दशाहाशौचमापतेत्, तदा षडहाशौचशेषेणैव दशाहाशौचशुद्धिः । अत्र विशेषमाह गौतमः रात्रिशेषेद्वाभ्यां । प्रभाते तिसृभिरिति। रात्रिमात्रशेषे पूर्वाशौचं यद्याशौचांतरे तर्हि पूर्वाशौचं प्रथमानंतरं द्वाभ्यां रात्रिभ्यां शुद्धिः। -

यदि पहले आया हुआ आशौच बाद में प्रवृत्त हुए आशौच से अधिक समय का होता है तो पूर्वाशौच काल से ही उत्तर काल के आशौच की शुद्धि की जाती है। जैसा कि गर्भपात निमित्तक छः दिन वाली आशौच के मध्य में यदि दस दिन वाला आशौच आ जाता है तो छः दिन वाले में से शेष दिनों के बाद ही दश दिनों वाले आशौच से शुद्धि हो जाती है। इस विषय में गौतम ऋषि ने विशेष व्यवस्था का विधान किया है- एक रात्रि के शेष रहने पर दो दिनों में शुद्धि होती है। प्रातःकाल के शेष रहने पर तीन रात्रि से शुद्धि होती है। पूर्वाशौच के रात्रि मात्र के शेष रहने पर अन्य आशौच के आ जाने पर पूर्वाशौच के समान ही दो तथा तीन रात्रि से शुद्धि हो जाती है।

तस्या एव रात्रेः पश्चिमयामे तु आशौचांतरे

तिसृभी रात्रिभिः शुद्धिर्न तु तच्छेषमात्रेणेति विज्ञानेश्वरः । माधवस्तु नवमे दिवसे पूर्णेय द्याशौचान्तरं तदा पूर्वाशौचकालानन्तरं द्वाभ्यां रात्रिभ्यां शुद्धिः। प्रभात इति प्राग्वदित्याह । हरदत्तस्तु पूर्वस्मिन्नाशौचे रात्रिशेषे सति यद्यन्यदापतेत्तदा द्वाभ्यां शुद्धिः । सा रात्रिः परेद्युश्चेत्यर्थः । प्रभाते तिसृभिरिति । अथ दशाहादौ व्यतीते अपरेधुप्रभाते संगवे यद्यन्यदापतेत्ततस्तिसृभिरात्रिभिरिति।
पित्राशौचमध्ये मातरि मृतायां पूर्वाशौचं समाप्य पक्षिणीमधिकां कुर्यात्। मात्राशौचमध्ये पितृमरणे तु पित्राशौचं पूर्णमस्त्येव । -

के उसी रात्रि क बाद वाले प्रहर में अन्य आशौच के आ जाने की स्थिति में तीन रात्रि अनन्तर शुद्धि हो जाती है न कि शेष मात्र से ऐसा आचार्य विज्ञानेश्वर का अभिमत है। आचार्य माधव का यह मानना है कि यदि नवें दिवस के पूर्ण हो जाने पर दूसरा आशौच आ जाता है तो पूर्वाशौच के समय के पश्चात् दो अथवा तीन रात्रि के अनन्तर शुद्धि हो जाती है। प्रातः काल के शेष होने की स्थिति में तो पहले जैसा ही समझना चाहिए। आचार्य

हरदत्त के मत में तो पूर्व आशौच के रात्रिमात्र के शेष रहने पर यदि अन्य आशौच उपस्थित हो जाता है तो दो रात्रि के बाद शुद्धि हो जाती है और वह रात्रि दूसरे दिन वाली होती है। प्रातः काल मात्र के अवशिष्ट रहने पर तो तीन रात्रि के अनन्तर शुद्धि होती है।

इसके बाद दश दिन के बीत जाने पर या दूसरे दिन प्रातः काल के शेष रहने पर अन्य आशौच उपस्थित हो जाता है तो दिन-रात्रि के अनन्तर शुद्धि होती है। यदि पिता से सम्बन्धित आशौच के मध्य में माता की मृत्यु हो जाती है तो पूर्वाशौच के समाप्त हो जाने पर से शुद्धि हो जाती है। यह अधिक मानना चाहिए। यदि माता से सम्बन्धित आशौच के अन्तर्गत पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता से सम्बन्धित पूरा ही आशौच (दशाह) लगता है।

यदि तु पित्राशौचे रात्रिशेषे माता म्रियते तदा पक्षिणी द्व्यहवोर्विकल्पः इति केचित्। द्व्द्व्यह एवेत्यन्ये ।

यदि पिता से सम्बन्धित आशौच के होने पर रात्रिभर के आशौच के शेष रह जाने पर माता का देहावसान हो जाता है तो पक्षिणी पर्यन्त अथवा दो दिन का आशौच होता है-यह विकल्प होता है। ऐसा किसी आचार्य का मत है, दो दिन का ही आशौच होता है यह अन्य आचार्यों का मत है।

अथाशौचनिषेधः

न संशयं प्रपद्येतिशास्त्रमुल्लङ्घ्य महानदीतरणादौ प्रवृत्तः सूनुः यो म्रियते तस्य दाहाशौचादि न कार्यम्। संवत्सरानंतरं नारायणबलिं कृत्वा सर्वमौर्ध्वदैहिकं कार्यमेव । सर्वहते सौवर्णं नागं प्रत्यक्षांगां च दद्यादित्यधिकम् । प्रामादिकमरणे त्वाशौचादिकमस्त्येव। तथा चाङ्गिराः - यदि कश्चित्प्रमादेन म्रियेताग्न्युदकादिभिः। तस्याशौचं विधातव्यं कर्त्तव्यं चोदक क्रियेतिवैद्यमरणे तु विशेषमाह शातातपः। वृद्धः शौचक्रियालुप्तः प्रत्याख्यातभिषक् क्रियः। आत्मानं घातयेद्यस्तु... यदग्न्यशनांबुभिः। तस्य त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये त्वस्थिञ्चयः। तृतीये तूदकंकृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेदिति । इदं चाशौचम् आहिताग्नेरुपरमे संस्कारदिवसप्रभृति कर्त्तव्यम् ।

अनाहिताग्नेस्तु मरणदिवसप्रभृति । सञ्चयनं तु प्रथमेऽह्नि तृतीयेऽह्नीदिनाविहित उभयोरपि संस्कारदिवस प्रभृत्येव । आहिताग्नौ पितरि देशांतरमृते तत्पुत्रादीनामासंस्कारोप क्रमादाशौचं नास्ति।

आशौचनिषेधविचार

संशयात्मक कार्य नहीं करना चाहिए इस शास्त्राज्ञा का उल्लङ्घन करके यदि बड़ी नदी इत्यादि को पार करने में प्रवृत्त पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार आदि आशौच नहीं करना चाहिए। एक वर्ष के पश्चात् नारायणबलि सम्पादित करके सम्पूर्ण और्ध्वदैहिक कृत्य करने ही चाहिए। सभी की मृत्यु हो जाने पर स्वर्णनिर्मित नाग (सर्प) तथा गोदान करना चाहिए, यह विशेष बात है। प्रमाद आदि (पागल आदि) की स्थिति में मृत्यु हो जाने पर तो आशौच आदि होता ही है। जैसा कि अङ्गिरा ऋषि का वचन है। यदि कोई व्यक्ति असावधानीवश या प्रमत्त आदि होकर

कहीं से गिरकर या डूबकर, जलकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उससे सम्बन्धित आशौच मानकर आशौच से सम्बन्धित समस्त कर्म करने चाहिए।

वैद्य की मृत्यु होने पर तो शातातप ऋषि ने कुछ विशेष बात कही है। यदि कोई वृद्ध पवित्रता से रहित होकर तथा वैद्य कर्म का परित्याग करके अग्नि में जलकर पक्षिणीपर्यन्त भोजन त्यागकर या पानी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है तो उससे तीन रात्रि का आशौच होता है। दूसरे दिन अस्थि सञ्चयन तथा तीसरे दिन जल तर्पण देकर चौथे दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यह आशौच अग्निहोत्री के देहावसान हो जाने पर उसके संस्कार दिन तक मानना चाहिए। अग्निहोत्री न होने पर तो मृत्यु के दिन से। अस्थि सञ्चयन प्रथम दिन अथवा तीसरे दिन करना चाहिए - इस प्रकार दोनों का ही संस्कार के दिन पर्यन्त आशौच मानना चाहिए। अग्निहोत्रानुष्ठान करने वाले पिता के अन्य देश में मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्रादि को संस्कार दिवस से प्रारम्भ करके आशौच नहीं होता है।

अनाहिताग्नेस्तु विधिवद्दाहाभावे तदानीमाशौचग्रहणं वैकल्पिकम्। तत्र गृहीताशौचानां संस्कारकाले पुनस्त्र्यहम्। अगृहीताशौचानां तु पूर्णं दशाहाद्येवपुत्राणां पत्न्याश्चेयम् । पत्नीसंस्कारे पत्युश्चैवम्। सपत्न्योर्मिथश्चैवम् । अगृहीताशौचानांसपिंडानां तु त्रिरात्रम्। गृहीताशौचानां सपिण्डानां तु पुनराशौचं नास्त्येव। आहिताग्ने स्तु प्रकृतिदाहसपिण्डानां दशाहमेव । इदं चाशौचं द्विविधं- अस्पृश्यत्वप्रयोजकं कर्मानधिकारलक्षणं च ।

किन्तु यदि वे अग्निहोत्री नहीं है और देशान्तर में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तो यथाविधि दाहसंस्कार न होने पर आशौच का विकल्प भी बताया गया है इनमें जिन्हें आशौच प्राप्त हो गया है उन्हें संस्कार काल में तीन दिन का आशौच होता है। जिन्हें आशौच नहीं लगा है उन्हें तो पूरे दश दिन का आशौच होता है। उदाहरणतः पुत्र तथा पत्नी आदि। इसी प्रकार पत्नी से सम्बन्धित संस्कार होने पर पति को दश दिन का आशौच होता है। सपत्नी में भी

पुनः इसी प्रकार का आशौच होता है। आशौच से रहित सपिण्ड के लोगों को तीन रात्रि का आशौच होता है तथा जो आशौच से प्रभावित होते हैं ऐसे सपिण्ड के लोगों को पुनः आशौच नहीं लगता है। अग्निहोत्र ग्रहण किए हुए व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से दाह संस्कार होने पर सपिण्ड के लोगों को दश दिन का ही आशौच होता है और यह आशौच दो प्रकार का होता है।

पुत्रे जाते पितुरास्नानमस्पृश्यता । मातुर्दशाहम् । सपिण्डानां तु अस्पृश्यतानास्त्येव । किंतु कर्मानधिकारतामात्रम् । सूतिका तु पुत्रजनने सति विंशतिरात्रं कर्मान कन्याजनने तु मासं । पुत्रजन्मदिवसे पितुर्दानादौ वचनाधिकारः । तथाच शङ्खलिखितौ– कुमारप्रसवे नाभ्यामच्छिन्नायां दानप्रतिग्नहादिष्वदोषस्तदहरित्येके इति । जन्मारभ्य देवता पूजायामपि प्रथमषट् दशमदिवसेषु वचनादधिकारः। मृताशौचे तु सर्वेषामस्पृश्यत्वमौत्सर्गिकम्।

पुत्र के जन्म लेने पर पिता को स्नान न करने

तक का अस्पृश्यभाव तथा माता को दश दिन का आशौच होता है। सपिण्ड के लोगों को यह अस्पृश्यभाव नहीं होता है अपितु तत्तद् कर्मों के करने के अधिकार नहीं रहते हैं। सूतिका के पुत्र का जन्म देने पर उसे बीस रात्रि पर्यन्त कार्यों से दूर रखा जाता है। पुत्र के जन्म के दिन पिता को दान आदि देने से सम्बन्धित कर्म का अधिकार रहता है। जैसा कि शङ्खलिखित मुनियों का वचन है– पुत्र के जन्म होने पर नालछेदन से पूर्व दान प्रतिग्रह आदि में कोई दोष नहीं होता है अर्थात् वह उसके योग्य है- ऐसा किसी का अभिमत है। जन्म से लेकर देवता का पूजन करने पर भी प्रथम, छठे तथा दसवें दिनों में दान आदि देने के वचन देने का अधिकार है। मृताशौच में तो सभी का अस्पृश्यभाव सामान्य रूप से होता है।

स्वस्वाशौचत्रिभागादूर्ध्वं तु स्पृश्याः । यतीनां ब्रह्मचारिणां च नाशौचम्। समावर्त्तनानन्तरं तु प्राक् मृतानां सपिण्डानां उदकदानं कृत्वा त्रिरात्रमाशौचं कुर्यादेव पित्रादिभ्य तूदक नादिकं कुर्वन् ब्रह्मचारी आशौचमपि लभते । तदुक्तम्

त्रिंशच्छलोक्याम्-
तातांबाचार्यकेभ्योऽनलतिलजलदो ब्रह्मचारी तदीयाशौचइति। प्रक्रांत प्रायश्चित्तानामाशौचं नास्ति । पूर्वप्रवृत्तचौलोपनयनादिसंस्कारेषु। यज्ञदेवता प्रतिष्ठारामाद्युत्सर्गादिष्वप्येवमिति ।

अपने-अपने आशौच के तीन भाग के बाद अर्थात् तीन भाग बीत जाने पर तो स्पृश्यभाव अर्थात् स्पर्श किया जा सकता है। संन्यासियों और ब्रह्मचारियों को आशौच का प्रभाव नहीं होता है। समावर्तन संस्कार (दीक्षान्त) के बाद तो पहले मृत्यु को प्राप्त हुए सपिण्ड लोगों का उदकदान करके तीन रात्रि तक आशौच का पालन करना ही चाहिए। पिता आदि को जल आदि देने पर ब्रह्मचारी को आशौच का दोष नहीं लगता है। जैसा कि त्रिंशत् श्लोकी ग्रन्थ में कहा गया है

पिता-माता, आचार्य के लिए अग्नि, तिल, जल देने वाले ब्रह्मचारी को, जो प्रायश्चित्त से ऊपर उठ गया है उसे किसी भी प्रकार का आशौच नहीं लगता है। इसी प्रकार पहले से चलने वाले मुण्डन, यज्ञोपवतीत आदि संस्कारों में यज्ञ,

देवता, प्रतिष्ठा, वृक्षारोपण आदि में भी आशौच नहीं होता है-यह समझना चाहिए।